तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.25	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.05.2025 को एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विप्रार्थी विवादित भूमि का रेकडर्ड खातेदार है विधिनुसार रेकडेर्ड खातेदार को बिना सुने स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन एवं अपुंरणीय क्षति के तीनो बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में लिहाजा अज अदालत द्वारा दिनांक 30.05.2025 को जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को अपास्त किया जावे।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी के तौर पर दर्ज है जिसके विधिक बंटवाडे हेतु वाद विचाराधीन है विप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि को अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा है यदि विप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा वाद के निस्तारण में जटिलता बढेगी। लिहाजा वाद के निस्तारण तक विप्रार्थी संख्या 1 को जरिये स्थगन आदेश पाबन्द करावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया ।

विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 बतौर खातेदार दर्ज है। संयुक्त भूमि में सभी पक्षकारान का प्रत्येक इंच पर समान हक विद्यामन है तथा उन्हे वास्तविक हिस्सो की सीमा तक भूमि का बेचान किये जाने से उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थगन आदेश की जरिये अपने हिस्से की भूमि का विकास करने से रोका जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति के तीनो बिन्दु दोनो पक्षों पर समान रूप से लागु होते है और किसी एक पक्ष को उसके स्वत्व के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है । प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे प्रतीत होता है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद हो। मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर [illegible] पारित हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.05.2025 को निरस्त किया जाता है ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) भिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:10:27 IST
Reason: SelfAttested